## भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI

IIM/20\_\_/47

#### PENSION FORM / FAMILY DECLARTION FORM-5

The particulars are to be obtained by the Head of Institute from the retiring Institute employee eight months before the date of his retirement

1. Name of Institute employee	:
2. (a) Permanent Account Number for Income Ta	ax (PAN):
(b) Aadhaar No., if available	:
3. Specify a few marks of identification, not less	than two, if possible
(i)	
(ii)	
4. Height:	
5. Address after retirement/permanent address fo	r future correspondence:
open a joint account for reasons beyond his/her compared to the Branch of Bank through which per (a) BSR code of the branch: (b) IFSC code of the branch:  8. Indicate whether family pension is also admiss Government and/or a Public Sector Undertaking/State Government:	ot possible for the retiring Government servant to control, this requirement may be relaxed).  ension is to be drawn:  sible from any other source - Military or State Autonomous body/Local Fund under the Central or a
I am aware that the future good conduct of the pecondition for every grant of pension/family pension	ensioner/family pensioner shall be an implied
Enclosures as per checklist are enclosed.	Signature:
Place:	Designation:  Department:  Mobile No.:
Date:	Email ID:

Note 1: Commutation of pension is optional. Item 9 may be stuck off if the retiring Institute employee does not desire to commute a percentage of pension.

Note 2: A separate application for commutation of superannuation pension in Form 1-A of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 is required to be submitted in case the retiring Institute employee desires to apply for Commutation of Pension after submission of this form but three months before retirement.

Note 3: It is in the interest of the Institute employees to provide E-mail ID and Mobile number, which facilitates future correspondence.

#### **Check List of Documents to be submitted along with Form 5**

S.No.	Description of documents to be enclosed	Whether enclosed
1. (a)	Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet)	
(b)	Additional information ( <b>Only in case of an illiterate or disabled Institute employee</b> ):- Two slips each bearing the left-hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not literate and cannot sign his name. If such an Institute employee on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impressions, he may give thumb and finger impressions of the right hand. Where an Institute employee has lost both hands, he may give his toe impressions. Impressions should be duly attested by a Gazetted Institute employee.	
2.	Two copies of passport size joint photograph with wife or husband. Where it is not possible for an Institute employee to submit a photograph with his wife or her husband, he or she may submit separate photographs. The photographs shall be attested by the Head of Office.  Three copies of passport size photograph of disabled child/siblings/dependent parents, if applicable. (To be attested by the Head of Institute)	
3.	Details of the family in Form 3.	
4.	Undertaking Form 26, for those who served in Security-related or Intelligence Organizations referred to in rule 8 of the CCS (Pension) Rules,1972	
5.	Written statement for counting of period of service under rule 59(1) (a), if any	
6.	Undertaking for refunding any excess payment made by the pension disbursing Bank	
7.	Nomination for gratuity, CGEGIS and GPF in Common Nomination Form	
8.	Nomination for arrears of pension and commuted value of pension (if applied for commutation of pension) in Common Nomination Form	

# **FORM 3** (See Rule 54 (12)

#### **DETAILS OF FAMILY**

Name of the Institute employee: .....

Designation	ı:				
Date of birt	h:				
Date of app	ointment:				
Details of th	ne members of my fa	amily* as on			
Sr. No.	Name of the members of family*	Date of birth	Relationship with the employee	Initials of the Head of Institute	Remarks
1	2	3	4	5	6
•	dertake to keep the an or alteration.	above particulars up	o to date by notifyi	ng the Head of th	e Office
Place:			Sign	ature of Institute	Employee

\* Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of sub rule (14) of Rule 54 of the CCS Pension Rules, 1972.

a) Wife, in the case of a male Institute employee

Date: .....

- b) Husband, in the case of female Institute employee
- c) Son/unmarried daughter who has not attained the age of twenty-five years' age; including such son or daughter adopted legally before retirement.

**NOTE**: Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.

## Details of employee to submitted along with Form No. 5

1.	Name of Employee & Emp. Code :					
2.	Specimen Signature of employee :					
3.	Additional Information (Only in case of an illite Separate sheet bearing the strength of the s	he left-hand thumb				
4.	Joint photograph of wif	e or husband.				
		Joint Photo				
5.		size photograph of <b>disabled</b> (costed by the Head/ Any other re	hild/siblings/dependent parents) sponsible officer of Institute)			
	Photo	Photo	Photo			
6.	Mobile No.:					
7.	E-mail ID:					
			Signature of Employee			

Attested by a Head/Any other responsible officer of Institute with seal

#### **UNDERTAKING**

I hereby undertake that any excess	payment made by	the Institute wil	ll be refunded by	me to the
Institute.				

I hereb	y authorize	the institute	to recover	such e	excess	payment	detected	from a	ny other	dues	to the
undersi	igned.										

	Signature:
	Name:
	Designation:
	Department:
Date:	
Place:	

To, CAO, IIM Mumbai Mumbai-400087.



## भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI IIM/20\_\_/47

## पेंशन फॉर्म / परिवार घोषणा फॉर्म-5

संस्थान प्रमुख द्वारा संवानिवृत्ति का ताराख स ४	महान पहल सवानिवृत्त संस्थान क कमचारा स विवरण प्राप्त किया
1. संस्थान कर्मचारी का नाम:	
2. (क) आयकर के लिए स्थायी खाता संख्या (पै	न):
(ख) आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो:	
3. पहचान के कुछ निशान निर्दिष्ट करें, यदि संभ	ua हो तो कम से कम दो
(i)	
(ii)	
4. ऊंचाईः	
5.सेवानिवृत्ति के बाद का पता/भविष्य में पत्राचा	
6. बैंक खाता सं. जिस पर पेंशन जमा की जानी (पित या पत्नी के साथ संयुक्त खाता, या तो उ (यदि कार्यालय प्रमुख संतुष्ट है कि सेवानिवृत् से संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो इज् 7. बैंक की शाखा का नाम जिसके माध्यम से पें	त हो रहे सरकारी कर्मचारी के लिए अपने नियंत्रण से परे कारणों स आवश्यकता में छूट दी जा सकती है)।
<ol> <li>इंगित करें कि क्या पारिवारिक पेंशन किसी के तहत सार्वजिनक क्षेत्र का उपक्रम/स्वायत्त नि</li> </ol>	अन्य स्रोत - सैन्य या राज्य सरकार और/या केंद्र या राज्य सरकार नेकाय/स्थानीय निधि से भी स्वीकार्य है:
9. मैं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण के% (40% तक) का संराशीकरण कर	ण) नियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति पेंशन रना चाहता हूं।
मैं जानता हूं कि पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभे प्रत्येक अनुदान और इसकी निरंतरता के लिए प	ोगी का भविष्य का अच्छा आचरण पेंशन/पारिवारिक पेंशन के एक निहित शर्त होगी।
जाँचसूची के अनुसार संलग्नक संलग्न हैं।	हस्ताक्षर:पदनाम:
स्थान:	विभाग: मोबाइल नं. :
दिनांक:	ईमेल पता:

नोट 1: पेंशन का संराशीकरण वैकल्पिक है। यदि सेवानिवृत्त होने वाले संस्थान के कर्मचारी पेंशन के प्रतिशत को कम करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो मद 9 बंद हो सकता है।

टिप्पणी 2: यदि सेवानिवृत्त होने वाला संस्थान कर्मचारी इस प्रपत्र को प्रस्तुत करने के बाद लेकिन सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के प्रपत्र 1-क में अधिवर्षिता पेंशन के संराशीकरण के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

नोट 3: यह संस्थान के कर्मचारियों के हित में है कि वे ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करें, ताकि भविष्य के पत्राचार में सुविधा हो।

### फॉर्म 5 के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्र.सं.	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	क्या संलग्न है
1.(ক) (ख)	दो नमूना हस्ताक्षर (एक अलग शीट में प्रस्तुत किया जाए) अतिरिक्त जानकारी (केवल संस्थान के निरक्षर या अपंग कर्मचारी के मामले में):- जो व्यक्ति अशिक्षित है तथा अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, वह अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा अंगुली के निशान सहित दो पर्चियां विधिवत् प्रमाणित करके प्रस्तुत कर सकता है। यदि ऐसा संस्थान कर्मचारी शारीरिक विकलांगता के कारण बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली के निशान देने में असमर्थ है तो वह दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगली के निशान दे सकता है। यदि संस्थान के किसी कर्मचारी ने दोनों हाथ खो दिए हैं तो वे अपने पैर के अंगूठे के निशान दे सकता है। संस्थान के एक राजपत्रित कर्मचारी द्वारा छापों को विधिवत सत्यापित किया जाए।	
2.	पत्नी या पित के साथ पासपोर्ट आकार की संयुक्त तस्वीर की दो प्रतियां। यदि संस्थान के कर्मचारी के लिए अपनी पत्नी या पित के साथ तस्वीर जमा करना संभव नहीं है तो वे अलग तस्वीरें जमा कर सकता है। फोटोग्राफ कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। विकलांग बच्चे/भाई-बहनों/आश्रित माता-पिता के पासपोर्ट आकार के फोटो की तीन प्रतियां, यदि लागू हो। (संस्थान प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाए)	
3.	फॉर्म 3 में परिवार का विवरण।	
4.	सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 8 में निर्दिष्ट सुरक्षा-संबंधी या खुफिया संगठनों में सेवा करने वालों के लिए वचन-पत्र 26	
5.	नियम 59(1) (क) के तहत सेवा की अवधि की गणना के लिए लिखित विवरण, यदि कोई हो तो	
6.	पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान को वापस करने के लिए वचन-पत्र	
7.	सामान्य नामांकन प्रपत्र में ग्रेच्युटी, सीजीईजीआई और जीपीएफ के लिए नामांकन	
8.	सामान्य नामांकन फॉर्म में पेंशन के बकाया और पेंशन के संराशीकृत मूल्य के लिए नामांकन (यदि पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन किया जाता है)	

#### फॉर्म 3 (नियम ५४ (१२) देखें)

## परिवार का विवरण

सस्थान क	कमचारा का नाम:	•••••				
पदनाम:						
जन्म तिथि:						
नियुक्ति र्क	ो तारीख:					
मेरे परिवार	के सदस्यों का विवरण*	दि	को			
क्र. सं.	परिवार के सदस्यों का नाम*	जन्म तिथि	कर्मचारी के साथ संबंध	संस्थान प्रमुख के आद्याक्षर	टिप्पणियां	
1	2	3	4	5	6	
मैं एतद्द्वार रखने का व	ा किसी भी जोड़ या परिव चन देता हूं।	र्तन के संबंध में का	र्यालय प्रमुख को सूचि	त करके उपरोव	त्त विवरणों को अद्य	तन
				संस्था	न कर्मचारी के हस्ता	क्षर

- \* इस प्रयोजन के लिए परिवार का तात्पर्य सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के नियम 54 के उपनियम (14) के खंड (ख) में परिभाषित परिवार से है।
  - क) पत्नी, संस्थान के पुरुष कर्मचारी के मामले में ख) पति, संस्थान की महिला कर्मचारी के मामले में

  - ग) पुत्र/अविवाहित पुत्री जिसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है; जिसमें ऐसे पुत्र या पुत्री को सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से अपनाया गया है।

नोट: पत्नी और पति में क्रमशः न्यायिक रूप से अलग पत्नी और पति शामिल होंगे।

## फॉर्म नं. 5 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले कर्मचारी का विवरण

1. कर्मचारी का नाम और कर्मचारी कोड:				
2. कर्मचारी के नमूना हस्ता	ाक्षर: <u> </u>			
3. अतिरिक्त जानकारी: <b>(केवल निरक्षर या दि</b> [बाएं हाथ के अंगूठे औ		त करते हुए अलग शीट ]		
4. पत्नी या पति की संयुक्त	फोटो			
	Joint Photo			
लागू हो तो।	हन/आश्रित माता-पिता) के पासपोर्ट आक सी अन्य जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सत्यापि	_		
Photo	Photo	Photo		
6. मोबाइल नं. :				
7. ई-मेल पताः				

कर्मचारी का हस्ताक्षर

मुहर के साथ संस्थान के प्रमुख/किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सत्यापित

## वचन-पत्र

मैं एतद्द्वारा वचन देता/देती हूं कि संस्थान द्वारा किया गया कोई भी अतिरिक्त भुगतान मेरे द्वारा संस्थान को वापस कर दिया जाएगा।

तथा

मैं एतद्द्वारा संस्थान को	अधोहस्ताक्षरी को	किसी अन्य दे	य राशि से पता	लगाए गए ऐसे अ	तिरिक्त भुगतान की
वसूली के लिए अधिकृत	करता हूं।				G

	हस्ताक्षर:
	नाम
	पदनाम
	विभाग:
दिनांक:	
स्थान∙	

सेवा में, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आईआईएम मुंबई मुंबई-400087.